70

न्यायालय श्रीमान सदस्य महोदय, राजस्व मण्डल ग्वालियर,
निग-1304-PBR-16 केम्प इन्दौर म.प्र.

राज.पुनरीक्षण क्र.
प्रस्तुती दिनांक

5 रु. भारत पाँच रुपये
5 रु. भारत पाँच रुपये
5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES
5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

1.मदनलाल पिता लालु,
2.दाजी पिता लालु,
3.तेजराम पिता लालु,
4.जयसिंग पिता लालु
5.नंदकुमार पिता लालु,
6.रामलाल पिता लालु,

सभी जाति कोरकू, निवासी ग्राम जामपानी, तहसील खकनार जिला बुरहानपुर म.प्र. ——<u>रिव्हीजनकर्ता / आवेदकगण</u>

विरूध्द,

1.अनारसिंग पिता चोखार जाति कोरकू,
2.गुलाब पिता चोखार जाति कोरकू ,

दोनो निवासी ग्राम चिडियामाल, तहसील खकनार एवं जिला बुरहानपुर

3.लाडकीबाई पति शोभाराम जाति कोरकू , निवासी ग्राम नावथा, तहसील नेपानगर, जिला बुरहानपुर म.प्र.
4.उबलाल पिता दादु जाति कोरकू, निवासी ग्राम चिडिया माल, तहसील खकनार जिला बुरहानपुर म.प्र.
5.पार्वतीबाई पति शंकर जाति कोरकू, निवासी मु.पो. सावलीखेडा तहसील धारणी (मेलघाट) जिला अमरावती महाराष्ट्र

——<u>नॉन पिटीश्नर / अनावेदकगण</u>

<u>पुनरीक्षण याचिका अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.राजस्व संहिता 1959</u>

आवेदकगण निवेदन करते है कि :—

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

1. यहकि प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अनावेदक क्रमांक 1 अनारसिंह ने अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार महोदय खकनार के समक्ष ग्राम चिडियामाल प.ह.नंबर 33 राजस्व निरीक्षक मण्डल खकनार तहसील खंकनार में स्थित कृषिभूमि जिसका खसरा नंबर 59, 60, 61 एवं 75 रकबा क्रमशः 2.14, 1.80, 1.87 एवं 6.37 हेक्टर कुल रकबा 12.24 हेक्टर कृषिभूमि के सम्बन्ध में बटवारे हेतु आपसी मौखिक बटवारा बताकर अनावेदक अनारसिंह ने अपना हिस्सा 3.73 हेक्टर बताकर खेत खसरा नंबर 60 एवं 61 की पूरी भूमि अपने आपको बटवारे में प्राप्त होना बताकर सहखातेदार उसके सगे भाई गुलाब, लाडकी एवं पार्वतीबाई को अपने कुटुम्ब के पूर्वज अर्थात अपने काका लालु के साथ बटवाडा वाली बात बताकर बटवारे हेतु आवेदन प्रस्तुत किया. उक्त आवेदन में अनावेदक क्रमांक 1 ने खेडा पति बाबु एवं धुधई पति बाबु एवं जीजीबाई पति दादु को भी गुलाब वगेरा के साथ एवं लालु के साथ बटवाडा बताया एवं बटवारे का आवेदन प्रस्तुत किया. उक्त प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार खकनार के व्दारा दिनांक 27/6/2013 को आदेश पारित किया गया एवं खाते दुरुस्त किये गये. जिसकी सूचना आवेदकगण या उनके पिता लालु को भी नहीं दी गयी. ना ही उन्हें प्रकरण से संबंधित कोई नोटिस दिया गया है.

2. यहकि यह आवेदकगण प्रकरण के न्यायिक निराकरण एवं सत्य स्थिति को उजागर करने के लिए उभयपक्षो की वंशानुक्रम निचे अनुसार दर्शा रहे है.

बुढा फौत

शिकारी फौत —— लालु फौत दि.24/3/2016

1.मदनलाल
2.दाजी
3.तेजराम
4.जयसिंग
5.नंदकुमार
6.रामलाल

——आवेदकगण/पीटीश्नर

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1304-पीबीआर/16 जिला बुरहानपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
23-1-2019	आवेदकगण की ओर से श्री विनोद सुगंधी, अभिभाषक उपस्थित । प्रकरण का अवलोकन किया गया । आवेदकगण द्वारा यह निगरानी तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है । उभय पक्ष दिनांक 24-4-2019 को सुनवाई हेतु कलेक्टर के समक्ष उपस्थित हों । अनावेदकगण को सूचना दिया जाये । अध्यक्ष	